12.31 Hrs.

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

12.31 Hrs.

BUSINESS OF THE HOUSE

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, SPORTS AND WORKS AND HOUSING (SHRI BUTA SINGH) : With your permission, Sir, I rise to announce that Government Business in this House during the week commencing 16th August, 1983 will consist of :—

1. Consideration of any item of Government Business carried over from today's Order Paper.

2. Discussion and voting on the Supplementary Demands for Grants (Railways) for 1983-84.

3. Consideration and passing of :—
   (1) The Delhi Rent Control (Amendment) Bill, 1980.
   (2) The Delegated Legislation Provisions (Amendment) Bill, 1983, as passed by Rajya Sabha.
   (3) The Administrators—General (Amendment) Bill, 1983, as passed by Rajya Sabha.
   (4) The Dangerous Machines (Regulation) Bill, 1983.
   (5) The Mines (Amendment) Bill, 1983.

SHRI UTTAM RATHOD (Hingoli) : During last session, the Parliamentary Affairs Minister had withdrawan this Bill, saying that it will be brought in the ensuing session with amendments beneficial to the land holders. Presently, though two weeks have passed, this Bill is not shown even on the agenda. Cultivators throughout the country are vsey much worried because it is against the interests of the cultivators. This Act was enacted 90 years back. The Central and State Governments are acquiring land for public purposes in thousands of acres every year. The cultivators are dispossessed of their land but they do not get proper compensation for it. The cultivators are agitated on this issue and as such, this Bill be considered and passed during the next week of this session.

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज की मद संख्या 3 के अन्तर्गत अगले सप्ताह में निम्नलिखित विषयों पर बहस चाहता हूं :—

पूरे देश में 53 लाख एकड़ अतिरिक्त जमीन भूमिपतियों के जिम्मे सीलिंग एक्ट के तहत निकले । लेकिन अभी तक सरकार द्वारा सिर्फ 23 लाख एकड़ जमीन को ही अपने कब्जे में लिया गया है । उसमें सिर्फ 17 लाख एकड़ जमीन ही मजदूरों के बीच वितरित की गई है । उस 17 लाख में से हरिजन आदिवासियों के परिवारों को 7 लाख एकड़ जमीन वितरित की गई है । जो जमीन गरीबों को दी गई है प्राय: उसी जमीन को भूमिपतियों के द्वारा किसी दूसरे शक्तिशाली व्यक्ति के हाथों बेच दिया जाता है और गरीबों को जमीन पर कभी अधिकार नहीं मिलता : गरीब हरिजन अपनी जमीन के लिए जिनका परचा भी उनके पास है । अदालत में जाना चाहते हैं तो भूमिपतियों द्वारा घातक हथियारों से उन पर हमला किया जाता है । उस तरह की घटना बिहार में प्राय: घट रही हैं ।

अत: सरकार से मांग है कि भूमि संबंधी बातों को संविधान की 9वीं सूचि में रखा जाए ।

2. दिल्ली में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों को दी जाने वाली दशमोत्तर कक्षा छात्रवृत्ति वितरण में दिल्ली प्रशासन द्वारा काफी अनियमितताएं बरती जा रही हैं । दिल्ली के कुछ स्कूलों और शिक्षा विभाग के छात्रवृत्ति अनुभाग में छात्रों द्वारा दिये गये छात्रवृत्ति फार्म जानबूझकर गायब कर दिये जाते हैं । फलस्वरूप छात्र छात्रवृत्ति से वंचित हो जाते हैं । इसके लिए आवश्यक है कि छात्रवृत्ति फार्म के साथ प्राप्ति रसीद (एकनालेजमेंट) लगाया जाय जिससे छात्रों के पास फार्म जमा करने का प्रमाण रहे । छात्रवृत्ति के संबंध में दिल्ली प्रशासन ने एक नया कानून बनाया है जिसके अनुसार एक परिवार में सिर्फ दो छात्रों

को ही छात्रवृत्ति स्वीकृत की जा रही है। दिल्ली प्रशासन के इस रवैये से संविधान का खुलकर उल्लंघन हो रहा है। इससे अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों की शिक्षा में भारी गिरावट होने की संभावना है।

अत: उपरोक्त दोनों विषयों पर अगले सप्ताह में चर्चा करायी जाय।

SHRIMATI PRAMILA DANDAVATE (Bombay North Central) : The decision of the Nirankaris to send their "Sacrifice Squad" to Amritsar on the 15th of August and a counter threat by Mr. Bhindranwale to them has created a dangerous and explosive situation in Punjab.

The Government has not only given protection to Mr. Bhindranwale, who is at the root of all the trouble in Punjab, but has failed to arrest him. His activities are being connived at by the police and the Government.

A full discussion on the issue and steps taken by the Government to resolve the same is very urgent.

The existence of certain sections in all personal laws governing different religious groups, discriminating against women. There is a tendency among few citizens to resort to conversions only to perpetuate the injustice.

In view of the demands made by a number of women organisations all over the country, I would request the Government to come forward with a proposal to convene a meeting of legal experts of all the personal laws and religious heads and formulate a uniform civil code, which would give equal status to all the citizens guaranteed by the Constitution.

I request that Government should make a statement in the House on this subject next week.

FROF. RUP CHAND PAL (Hooghly) : The Railway Ministry is reported to have employed a large number of volunteers as Ticket Collectors and Ticket Examiners in Sealdah and Howrah Divisions of Eastern Railway and some other places. They are being paid Rs. 8 per day per head plus a good percentage of the money realised as fine from ticketless travellers. There is no denying that every effort should be made to check and stop ticketless travelling in Indian Railways but the employment of personnel should be made in a regular way without leaving any scope to raise suspicion.

The present manner of employment of volunteers in railways very much looks like backdoor recruitment. There is a persistent demand throughout the country that all recruitments, even casual or temporary, should be made through employment exchange only. The Central Government is also committed to this principle.

In the circumstances, the recent behaviour of the Indian Railways is a serious matter, which needs to discussed in this House. I request the Minister of Parliamentory Affairs to incorporate the above in next week's business.

श्री चन्द्रपाल शैलानी (हाथरस) : उपाध्यक्ष महोदय, आगामी 16 अगस्त से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह में लोकसभा की कार्यवाही में मेरे निम्नलिखित विषयों को भी सम्मिलित करने की कृपा करें।

1. सारे देश में वनों तथा फलदार हरे वृक्षों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, विशेष रूप से मध्यप्रदेश में। इस राज्य में जिस तरह से वनों को काटा और उजाड़ा जा रहा है, उसका कोई हिसाब नहीं। पिछले एक वर्ष में राज्य के वनों से 50 करोड़ रुपए की लकड़ी चुराई गई थी। चोरी को रोकना अब संभव नहीं है क्योंकि ठेकेदार वन रक्षकों पर सुनियोजित ढंग से हमला करने लगे हैं। हाल के कुछ महीनों में इन हमलों में 50 वन रक्षकों के मारे जाने तथा 500 के घायल होने की खबर है। यदि यही गतिविधियां रहीं तो एक दिन वनों का पूर्ण सफाया हो जाएगा।

2. हमारे देश में अनेक सामाजिक कुरीतियाँ, बुराईयां और अंध विश्वास विद्यमान हैं। सती होने तथा बली चढ़ने की प्रथा भारत में प्राचीन काल से चली आ रही है। बावजूद इसके कि अनेक महापुरुषों, महर्षियों एवं समाज सुधारकों ने इन कुप्रथाओं को समाप्त करने के

लिए जीवन भर संघर्ष किया किन्तु फिर भी ये पूरी तरह नष्ट नहीं हो पाई । आजकल भी यदाकदा इस प्रकार की खबरें हम सुनते हैं और अखबारों में पढ़ते हैं । कुछ अंधविश्वासी लोग तो छोटे-छोटे मानव बच्चों की बलि देने से भी नहीं चुकते । ये जघन्य अपराध हैं और इनकी पूर्ण रूप से रोकथाम के लिए सरकार को अविलंब कोई प्रभावी कानून बनाना चाहिए ।

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह की कार्यवाही में निम्नलिखित विषयों को भी सम्मिलित करने की कृपा करें ।

1. बेरोजगार प्रशिक्षित अभियंता—

किसी राष्ट्र के प्रशिक्षित अभियंताओं का बेकार रहना उस देश का दुर्भाग्य ही है । अपने यहां हजारों की संख्या में ऐसे लोग अनिवेजित हैं । एक ओर तो विकास के हजारों काम अछूते पड़े हैं दूसरी ओर हजारों की संख्या में अभियंता बेरोजगार हैं और उन्हें दूसरे देशों में जीविका अर्जित करने के लिए जाना पड़ रहा है । निश्चय ही योजनाकारों ने कहीं न कहीं गंभीर भूल की है जिसे राष्ट्र हित में यथाशीघ्र सुधार लिया जाना चाहिए । इस संदर्भ में सिविल इंजीनियरों के लिए मेरा सुझाव है कि वर्तमान कांस्ट्रेक्ट एक्ट में संशोधन कर निर्माणकर्ताओं के लिए नागरिक निर्माण के तकनीकी पहलुओं की देखरेख निरूपण तथा आकलन के लिए काम के बोझ के आधार पर सिविल इंजीनियरों की नियुक्ति अनिवार्य कर दी जाए । अथवा इसके लिए आवश्यकता हो तो एक नया विधेयक ही प्रस्तुत किए जाए ।

2. आंखो की चोरी

जहां आंख ट्रांस्प्लांट करने के लिये सर्जन दस से पन्द्रह हजार रुपए वसूल करते हैं वहां कई ऐसी घटनाएं प्रकाश में आई हैं जहां अस्पताल में लाशों की आंखे बिना मृतक के सगे-संबंधियों की सहमति से निकाल ली गई हैं । इस पर सरकार की चुप्पी मृतकों की आंखों का व्यापार और उसमें काले धंधे को प्रोत्साहन तथा मृतकों के निर्धन सगे सम्बन्धियों को रुपए का प्रलोभन देकर इस प्रकार के कुकृत्य में प्रेरित कर सकता है । अतः इसकी रोकथाम हेतु विधेयक लाने का सुझाव देता हूं ।

SHRI CHITTA BASU (Barasat) : Sir, with your permission I request the Government to include the following items in the next weeks's business :—

1. ASSAM SITUATION : The political situation in Assam calls for constant watch and vigil.

Assam witnessed a holocaust in the recent past with took a toll of life of more than 3000 persons, according to information recently available from the Assam Government. The task of rehabilitating thousands of uprooted families remains yet to be completed speedily. Certain grievances have been aired about the inadequacies of the rehabilitation programme undertaken by the Government. Tribunals are going to be set up to detect foreign nationals, without formulating the guidelines on the basis of which the tribunals are expected to give their decision. The Election Commission has also prepared a report on the General Election to the Legislative Assembly of Assam, 1983, which has been laid on the Table of the House on August 2 last. The report, *inter alia* mentions about a proposal for enactment of a legislation of the nature of Resident Alines Act in USA which allows all rights to immigrants except the right of enfranchisement. This is a preposterous proposal which seeks to disenfranchise large number of persons belonging to minority communities in Assam, both linguistic and religious. This has engendered fear and apprehension among the people of Assam belonging to minority communities.

2. SIXTH PLAN ; This is the penultimate year of the Sixth Five Year Plan. But the House had no opportunity to discuss the plan document. Mid-term appraisal of the Plan is at the stage of completion.

The mid-term appraisal report should be laid on the Table and discussed by the House.

I request the Government should make a statement in the House on these subject next week.

श्री दिगम्बर सिंह (मथुरा) : 1980-81 के बजट पर बोलते हुए कृषि मंत्री ने कहा था कि लैंड एक्वीजीशन एक्ट 1894 में संशोधन किया जाएगा। प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 16 फरवरी 81 को देश भर से आए किसानों की रैली में कहा था कि भूमि के अधिग्रहण के कानून में संशोधन दिया जाएगा और किसान को अपनी भूमि का मुआवजा जब भूमि ली जाएगी तब के बाजार भाव का दिया जाएगा। शायद ही कोई ऐसे सांसद होंगे जो इस एक्ट में संशोधन लाना न चाहते हों। ग्रामीण विकास मंत्रालय की सलाहकार समिति भी संशोधन शीघ्र चाहती है। हर वस्तु का मूल्य उस समय के बाजार भाव का दिया जाता है किन्तु किसान की भूमि का मुआवजा उस समय के बाजार भाव का दिया जाता है जो भूमि लेने के समय से बीसों वर्ष पहले का होता है।

हमारे देश के स्वतन्त्रता सेनानी कम होते जा रहे हैं। सरकार ने उनकी ओर ध्यान भी दिया है किन्तु जितना ध्यान देना चाहिये उतना नहीं दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रदेश की सरकारी नौकरियों में स्थान रिजर्व कर दिए हैं किन्तु भारत सरकार ने ऐसा नहीं किया। उनको देश में घूमने की कोई सुविधा नहीं है। जिस देश को उन्होंने आजाद किया उसको कम से कम प्रथम श्रेणी में मृत्यु होने से पहले देख लेने दिया जाए। उनके लिए बिमारी के इलाज की पूर्ण व्यवस्था की जाए। स्वतन्त्रता सेनानियों की एक समिति बना दी जाए जो यह देखे कि किनको पैंशन मिलने वाली थी और नहीं मिली। हमारे लिए इससे अधिक दुर्भाग्य की क्या बात होगी कि एक स्वतन्त्रता सेनानी ने पैंशन न मिलने के कारण आत्म हत्या की। जिनके त्याग के कारण आजादी मिली वे दुखी हों और जो आजादी के समय उनको जेल भेज रहे थे और अंग्रेजी सरकार की मदद कर रहे थे वे धन व पद पाकर मौज करें? इस विषय को तथा लैंड एक्वीजीशन एक्ट को भी अगले सप्ताह की कार्यवाही में सम्मिलित किया जाए।

SHRI BUTA SINGH : Sir, I have listened carefully to the various points made by hon. Members on the business to be taken up in the next week. Most of these subjects which they have highlighted will find their way in some form or the other. For example, about this Land Acquisition (Amendment) Bill, more than 3-4 Members have mentioned. Discussion on Punjab was the first subject that we took after the House started discussion. No useful purpose is served in having the discussion time and again unless we are able to reach some solution. Almost all the items will engage the attention of the Business Advisory Committee. In case they allot some time, we will try to accommodate.

12.46 Hrs

ELECTION TO COMMITTEES

(i) Central Advisory Committee for National Cadet Corps.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, SPORTS AND WORKS AND HOUSING (SHRI BUTA SINGH) :

On behalf of Shri K.P. Singh Deo, I beg to move :

> "That in pursuance of Section 12(1) of the National Cadet Corps Act, 1948, the members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, two members from among themselves to serve as members of the Central Advisory Committee for the National Cadet Corps for a term of one year commencing from the 14th October, 1983, subject to the other provisions of the said Act and the Rules made thereunder."

MR. DEPUTY SPEAKER : The question is :

> "That in pursuance of Section 12(1) of the National Cadet Corps Act, 1948, the members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, two members from among themselves to serve as members of the Central Advisory Committee for the National Cadet Corps for a term of one year commencing from the 14th October, 1983, subject to the other provisions of the said Act and the Rules made thereunder".